

संख्या 27/16/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्केट, नई दिल्ली, 110003
दिनांक 18/3/2011

आदेश 01/2011

18 MAR 2011


उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रूप से आबन्धित समझा जायेगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अन्तिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अन्तिम आबन्धन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबन्धन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबन्धन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्धित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अन्तिम आबन्धन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर. एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आबन्धित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अन्तिम रूप से आबन्धित समझे जायेंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता।

संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों का अन्तिम आबन्धन राज्य परामर्शदात्री समिति की दिनांक 17.06.2010 को हुई 80 वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है।


(के. पी. के. नंबीशन)


उप सचिव, भारत सरकार

(के. पी. के. नंबीशन)

(K. P. K. NAMBISSAN)

Deputy Secretary
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Dept. of Personnel & Trg.
भारत सरकार/Govt. of India

- संलग्नक: 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखण्ड राज्य में अन्तिम रूप से माध्यमिक विद्यालय विभाग के अन्तर्गत पुस्तकालय संवर्ग के 18 कार्मिकों की सूची।
- प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ।
4. प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।




विभाग का नाम	- माध्यमिक शिक्षा विभाग
संवर्ग	- लाइब्रेरी संवर्ग
कुल पद	- 27
कुल आबंटित कार्मिक :	- 18
कुल रिक्त पद :	- 6

2 अनुपातिक रिक्तियों + 4 रिक्तियों (1 व्यक्ति श्री विनोद क्रिस्टोफर दिलावर के सेवानिवृत्त होने के कारण तथा 3 व्यक्तियों श्री चन्द्रदीप राम, श्री संजय कुमार यादव एवं सुश्री कंचन रानी वैश्या के प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप)

क्रमांक	कार्मिक का नाम	पद नाम	वेतनमान	श्रेणी
1	कु0 बसन्ती पाठक	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	मूलनिवासी
2	श्री मती यश लक्ष्मी	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	मूलनिवासी
3	सुश्री चित्रा शर्मा	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
4	श्रीमती किरन जोशी	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
5	श्री कंचन सिंह परिहार	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
6	कु0 गीता रानी शर्मा	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
7	कु0 साधना गुर्जर	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
8	श्री अवदेश कुमार श्रीवास्तव	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
9	श्री केशव सिंह	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
10	श्री अशोक कुमार यादव	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
11	श्री हरिशचन्द्र	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
12	श्री के0 वी0 दोहरे	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
13	श्री भोला नाथ	पुस्तकालयाध्यक्ष	4500 -7000	कनिष्ठतम
14	श्री मती माया खनका	लिपिक	3050 - 4590	मूलनिवासी
15	श्री अक्ला नन्द भट्ट	लिपिक	3050 - 4590	मूलनिवासी
16	श्री गोपाल सिंह गुसाई	लिपिक	3050 - 4590	मूलनिवासी
17	श्री जीवन चन्द्र तिवारी	कैटलागार	3050 - 4590	मूलनिवासी
18	श्री महमूद हसन	कैटलागार	3050 - 4590	कनिष्ठतम

3 मामलों में समिति द्वारा विचार किया जाना शेष है ।


 (के.पि.के. नंबिशन)
 (K. P. K. NAMBISSAN)
 उप सचिव/Deputy Secretary
 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
 Deptt. of Personnel
 सरकार/Govt. of ...

Annexure to order No. .../93011
 Dated...18.3.2011...